

**आकाशवाणी से श्री किशोर कुमार
के गीतों पर प्रतिबन्ध लगाना**

3303. श्री राघव जी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से श्री किशोर कुमार के गीतों के प्रसारण पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश कब और किसने जारी किया था और इसको जारी करने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या यह आदेश अनुचित था और यदि हां, तो क्या सरकार का आदेश जारी करने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) से (ग) : जी, हां। प्रतिबन्ध आदेश सरकार द्वारा 4 मई, 1976 को जारी किया गया था और 18 जून, 1976 को रद्द कर दिया गया था।

यह महसूस किया गया था कि आकाशवाणी फिल्मी गीतों का प्रसारण करते समय गायकों, फिल्मों, संगीत निर्देशकों, आदि के नामों का उल्लेख करके सिनेमा आर्टिस्टों के रूप को प्रतिबिम्बित कर रही थी, परन्तु इसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं कर रही थी। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि सिनेमा आर्टिस्टों को कहा जाए कि वे आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए तत्-प्रति-तत् आधार पर कार्यक्रम तैयार करके और उन्हें प्रस्तुत करके उनके साथ सहयोग करें। यह उन मामलों में से एक है, जिनकी जन सम्पर्क माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी दास समिति ने जांच की है।

**Arrest of 30 Members of the all India
Stainless Steel Re-rollers Association**

3304. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether thirty members of All India Stainless Steel Re-rollers Association were arrested;

(b) if so, their demand; and

(c) whether their demand is genuine according to Industries (Development Regulation) Act and its provisions of 1964?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) According to the information received from the Delhi Administration 317 arrests have been made of the All India Stainless Steel Re-rollers Association upto 10th July, 1977.

(b) The demands of the Association are:

(i) The reduction of levy on the imported stainless steel should be withdrawn;

(ii) A complete ban may be imposed on the import of stainless steel sheets for the actual users.

(c) The provisions of Industries (Development Regulation) Act, 1964, are not applicable to the small scale stainless steel re-rollers.

**Piracy by Foreign Ship Owners in
connivance with Indian Shipping
Agents**

3305. SHRI G. M. BANATWALLA:

SHRI VINODBHAI B.
SHETH:

SHRI VASANT SATHE:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the organized piracy by certain